राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सी. आई. एन.)–U40102RJ2000SGC016484

पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

क्रमांक :– रा.रा.वि.उ.नि./का. एवं प्रशा. (संस्थापन)/प. /प्रे. 1257 दिनांकः 17/01/2022

परिपत्र

विषय :– निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति के विवरण को स्वयं के SSO ID से लॉग–इन कर RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरने के संदर्भ में।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपंत्र क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को दिनांक 01.01.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने के बारे में तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना आनलाइन नहीं भरने की स्थिति में विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किये जाने के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये थे। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी जो कि पे–मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल L-12 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 4800) व अधिक में वेतन आहरित कर रहे हैं, हेतु प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपनी अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी तक निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है।

इसी क्रम में अब कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो. प्र./2011 दिनांक 29.06.2021 द्वारा यह निर्देशित किया है कि समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 01.01.2021 एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाइन किया जावेगा। समस्त राजकीय उपक्रमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन स्वयं कर्मचारियों द्वारा भरा जाना आवश्यक है। जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि अचल सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का आधार डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है।

अतः निगम में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्दिष्ट किया जाता है कि वे प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक स्वयं के SSO ID से लॉग–इन कर RAJ ERP Power में ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करें। अचल सम्पत्ति विवरण को स्वंय के SSO ID से लॉग–इन कर RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरे जाने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश लागू होंगेः–

1. निगम में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक स्वयं के SSO ID से लॉग–इन कर RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरा जाना आवश्यक है।
2. जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा और साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस भी नहीं दी जावेगी।
3. SSO ID से RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाइन भरने के सम्बंध में अपनायी जाने वाली प्रकिया **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।

4. जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का SSO ID नहीं बनी हुई है उनके लिए SSO ID बनवाए जाने की प्रक्रिया **अनुलग्नक 'ख'** के रूप में संलग्न है।

5. जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने वर्ष 2022 का अचल सम्पत्ति विवरण RVUN Intranet पर भर दिया है उनको भी SSO ID से लॉग–इन कर RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में भी विवरण भरा जाना आवश्यक है।

6. **1 जनवरी 2022 की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी 2022 के पश्चात अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा।**

7. जिन राजपत्रित कर्मचारियों / अधिकारियों ने अपना वर्ष 2021 का अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा था, उनके द्वारा अपना वर्ष 2022 का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी, 2022 तक ऑनलाइन भरने पर उनको वर्ष 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावेगी।

8. SSO ID से लॉग इन कर RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में अचल सम्पत्ति विवरण भरने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में अधिशाषी अभियंता (IT), रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर से संपर्क किया जा सकता है।

अतः समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO ID से लॉग–इन कर RAJ ERP Power सॉफ्टवेयर में भरा जाना सुनिश्चित करावें।

आदेशानुसार,

17/1/2022

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आलोक शर्मा)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निदेशक (तकनीकी / परियोजनाएं / वित्त), रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर।
2. मुख्य / अतिरिक्त / अधीक्षण अभियन्ता(   ), रा.रा.वि.उ.नि.,
3. मुख्य लेखा नियंत्रक / मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (   ), रा.रा.वि.उ.नि.,
4. संयुक्त निदेशक (कार्पोरेट अफेयर्स) कम कम्पनी सचिव, रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कार्मिक / उप निदेशक कार्मिक / कार्मिक अधिकारी (   ), रा.रा.वि.उ.नि.,
6. संयुक्त सचिव (पेंशन) / उप सचिव / सहायक सचिव (   ), रा.रा.वि.उ.नि.,
7. सहायक अभियन्ता (वेबसाईट मोनिटरिंग), रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर को परिपत्र अपलोड करने हेतु।

17/1/2022

(विशाल मल्होत्रा)
कार्मिक अधिकारी (संस्थापन)